ए.

भारत और अन्य का संघ

बनाम

एलटी। जनरल. (आर. टी. डी.) एस. के. साहनी

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 2169)

बी.

23 मार्च, 2022

[एल**.** नागेश्वर राव और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

सेना नियम, 1954-आरआर।180, 22 और 40 (2)-सेना अधिनियम, 1950 -1967 में भारतीय सेना में नियुक्त किए गए प्रत्यर्थी को इसके बाद 2005 में महानिदेशक, आपूर्ति और परिवहन (डी. जी. एस. टी.) के रूप में नियुक्त किया गया-उनके खिलाफ कई आरोपों की जांच करने के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (सी. ओ. आई.) को आदेश दिया गया-सी. ओ. आई. ने केवल प्रत्यर्थी के खिलाफ रिकॉर्ड योग्य निंदा करने की सिफारिश की, लेकिन सेना कमांडर और जी. ओ. सी.-इन-सी. ने सेना अधिनियम, 1950 और सेना नियम, 1954 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया-2006 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, प्रत्यर्थी ने उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थियों सी. ओ. आई. की सिफारिश के आधार पर प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रत्यर्थी को नोटिस देने और जारी रखने की स्वतंत्रता दी।180 सेना नियमों का, या "अधिनियम के तहत उनके लिए उपलब्ध किसी भी अन्य शक्ति का प्रयोग करें, जहां तक कि वे उपरोक्त न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी की कार्यवाही पर भरोसा नहीं करते हैं"-अपीलार्थियों, आर का आह्वान करने के बजाय।180 सेना के नियमों के अनुसार, जिसमें प्रत्यर्थी को अवसर प्रदान किया जाना था, आर का सहारा लिया।22 सेना नियमों और एस के तहत प्रत्यर्थी की कुर्की का आदेश दिया।123 सेना अधिनियम-इस आदेश को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए. एफ. टी.) द्वारा अपास्त करना दिया गया था, जिसने उक्त कार्रवाई को पूरी तरह से अनुचित और अवैध घोषित कर दिया था-हालाँकि अपीलार्थियों को प्रत्यर्थी को अवसर देने के बाद सी. ओ. आई. का सहारा लेने और आवश्यकता का पालन करने का निर्देश दिया गया था।180 सेना नियमों के अनुसार-जुलाई

2011 में, जनरल न्यायालय मार्शल (जी. सी. एम.) की कार्यवाही, जिसमें प्रत्यर्थी की तुलना में कनिष्ठ अधिकारी शामिल थे, ने प्रत्यर्थी को कुछ आरोपों का दोषी पाया और उसे (i) कैशियर होने की सजा सुनाई; और (ii) पुष्टि के अधीन तीन साल के लिए कठोर कारावास-सेना प्रमुख ने जनवरी 2012 में इसकी पुष्टि की-प्रत्यर्थी ने ए. एफ. टी. के समक्ष अपील दायर की, जिसने सजा को सेवा से बर्खास्त करने के लिए संशोधित किया-प्रत्यर्थी ने रिट याचिका दायर की।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

946 ए.

947

भारत संघ और अन्य बनाम एल. टी. जनरल. (आर. टी. डी.) एस. के. साहनी ए

ए. एफ. टी. के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष-उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया-इस बीच, अपीलार्थियोंओं ने ए. एफ. टी. के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की-प्रत्यर्थी ने अपनी रिट याचिका को उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दायर किया, जिसकी अनुमति दी गई थी-आयोजितःउच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अंतर्निहित सीमाएँ हैं और जी. सी. एम. द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय यह नहीं पाता है कि भौतिक कारकों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया है या जो साक्ष्य रिकॉर्ड पर आया है, उसकी पूरी तरह से गलत तरीके से सराहना की गई है-रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए-तथ्यों पर, रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने पर, ए. एफ. टी. के साथ-साथ जी. सी. एम. द्वारा पारित निष्कर्ष और आदेश जो कानून में टिकाऊ नहीं पाए गए-अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी गई-याची के स्थानांतरित आपराधिक मामले की अनुमति-याची को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया गया-वह कानून के अनुसार सभी पेंशन और परिणामी लाभों का हकदार होगा।

बी.

सी.

डी.

अपील को खारिज करते हुए और संबंधित स्थानांतरण मामले को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

ई.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1.**हालाँकि प्रत्यर्थी के खिलाफ नौ आरोप बनाए गए थे, वे आपस में जुड़े हुए हैं और तीन लेन-देन से संबंधित हैं।पहला आरोप यह था कि प्रत्यर्थी ने अनुबंध में पहले से उल्लिखित **14** निविदा केंद्रों के अलावा गदरवाड़ा, जिला नरसिंगपुर, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के नरसिंगपुर में दो और निविदा केंद्रों को जोड़ने के लिए मैसर्स गुजरात को-ऑपरेटिव ग्रेन ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड **(**इसके बाद मैसर्स ग्रेनफेड के रूप में संदर्भित**)** के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी।आरोप था कि यह राज्य को धोखा देने के इरादे से किया गया था।यहाँ तक कि अपीलार्थियों का भी यह मामला नहीं है कि इस तरह के निर्णय के कारण सेना को कोई नुकसान हुआ था या इस तरह के विचलन से मेसर्स ग्रेनफेड को कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ था।यह इस तथ्य के अलावा है कि **1987** के समेकित आदेश संख्या **3** में ही खरीदार द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त खर्च/आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई बचत को आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता थी।

एफ.

जी.

एच.

948 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

इस प्रकार, ए. एफ. टी. के निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी की ओर से धोखाधड़ी करने का इरादा था, टिकाऊ नहीं होगा।**[**पैरा **31,35] [957-**एफ-एच**; 958-**ए**; 961-**सी-ई**]**

1.2 जहाँ तक दूसरे आरोप का संबंध है, यह प्रत्यर्थी द्वारा **4** अप्रैल **2005** की अनाम शिकायत के आधार पर कार्रवाई नहीं करने के संबंध में है।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी को सभी संबंधित मुद्दों की जांच करने और चूक, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया गया था।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी शिकायत का संज्ञान लेने और उस संबंध में जांच का निर्देश देने में विफल रहा था, रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के विपरीत है।**[**पारस **36** और **37] [961-**ई**; 963-**ए-बी**]**

बी.

सी.

1.3 तीसरा शुल्क मैसर्स पनसप लिमिटेड और मैसर्स एम**.** एम**.** टी**.** सी**.** लिमिटेड को दिनांक **26** जून **2005** की निविदा की स्वीकृति में दी जा रही छूट के संबंध में है**,** जिसके तहत प्रति **100** ग्राम काबली चना की कीमत में प्रति **100** ग्राम **300-350** अनाज के बजाय **0.5** प्रतिशत की कमी की अनुमति दी गई थी।एकमात्र आरोप यह है कि जो छूट दी गई थी**,** वह अनाज की संख्या के संबंध में थी जो प्रत्येक **100** ग्राम में होनी चाहिए।वास्तव में**,** यहां तक कि जी**.** सी**.** एम**.** ने भी माना कि प्रत्यर्थी अपने इरादे के संबंध में संदेह का लाभ उठाने का हकदार था**,** लेकिन उसने पाया कि उक्त कार्य अच्छी व्यवस्था और सैन्य अनुशासन के लिए प्रतिकूल था।**[**अनुच्छेद **39** और **41] [963-**सी**-**डी**; 964-**बी**-**सी**] 1.4** ए**.** एफ**.** टी**.** विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रत्यर्थी ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है या कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को वास्तविक नुकसान या गलत लाभ हुआ हो।यह समझने में असमर्थ है कि किस आधार पर ए**.** एफ**.** टी**.** इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रयास गलत लाभ के लिए किए गए थे।ए**.** एफ**.** टी**.** द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के बिल्कुल विपरीत है।**[**पैरा **45] [965-**एफ**-**जी**]**

डी.

ई.

एफ.

1.5 ए**.** एफ**.** टी**.** के साथ**-**साथ जी**.** सी**.** एम**.** द्वारा पारित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं हैं। याची द्वारा दायर हस्तांतरित मामले की अनुमति है**; (ii)** जी**.** सी**.** एम**.** द्वारा **18** फरवरी **2011** को याची को दोषी ठहराते हुए और उस पर जुर्माना लगाते हुए पारित आदेश और ए**.** एफ**.** टी**.** द्वारा पारित **10** अक्टूबर **2013** के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है**; (iii)** याची को बरी कर दिया जाता है।

जी.

एच.

949

भारत संघ और अन्य बनाम एल. टी. जनरल. (आर. टी. डी.) एस. के. साहनी ए

उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों में से**;** और **(iv)** याची कानून के अनुसार सभी पेंशन और परिणामी लाभों का हकदार होगा।इस तरह के लाभों के बकाया की गणना की जाएगी और इस फैसले की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर याची को भुगतान किया जाएगा। **[**पैरा **47] [966-**बी**-**ई**]**

Ex. लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश बनाम भारत संघ और

बी.

एक अन्य [2019 की आपराधिक अपील संख्या 140 में उच्चतम न्यायालय का दिनांकित 24-01-2019 निर्णय]; संघ का

भारत और एक अन्य बनाम चरणजीत एस**.** गिल और अन्य **(2000)**

5 एससीसी 742:[2000] 3 एससीआर 245 और ब्रिगेडियर P.S.Gill वी।

भारत संघ और अन्य **[24** मई के आदेश**,**

सी.

2011 2010 के ओ**.** ए**.** सं**. 147** में ए**.** एफ**.** टी**.** का**]-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2000] 3 एससीआर **245**

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2014 की आपराधिक अपील संख्या 2169।

डी.

2011 के मूल आवेदन No.262 में चंडीमंदिर में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ क्षेत्रीय पीठ के दिनांक 10.10.2013 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

ई.

2017 का हस्तांतरित मामला (आपराधिक) सं. 1

आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजन के. चौरसिया, एस. के. त्यागी, अनुकल्प जैन, अरविंद कुमार शर्मा, मुकेश कुमार मरोरिया, के. के. त्यागी, इफ्तेखार अहमद, सर्वम रितम खरे, राजीव कुमार बंसल, पी. नरसिम्हन, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति बी**.** आर**.** गवई

1. 2014 की आपराधिक अपील भारत संघ और अन्य लोगों द्वारा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ क्षेत्रीय पीठ द्वारा चंडीमंदिर में (जिसे इसके बाद "ए. एफ. टी". के रूप में संदर्भित किया गया है) दिनांक 10 अक्टूबर 2013 को 2012 की एम. ए. संख्या 1871 और 2011 की

ओ. ए. संख्या 262 में पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है ताकि यह प्रत्यर्थी पर लगाए गए तीन साल के सश्रम कारावास और कैशियरिंग की सजा को कम कर सके। जनरल. (सेवानिवृत्त) एस. के. साहनी को सेवा से बर्खास्त करने के लिए

जी.

एच.

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 (इसके बाद "ए. एफ. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 71 (ई) और 2011 के ओ. ए. संख्या 262 में 2014 के एम. ए. संख्या 3201 और 3202 में 21 मार्च 2014 का प्रावधान विद्वान गया है, जिसके तहत विद्वान ए. एफ. टी. ने अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

2. 2017 का हस्तांतरित मामला (आपराधिक) सं. 1 याची द्वारा उसमें (इसमें प्रत्यर्थी) दायर किया गया है, जो मूल रूप से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 की आपराधिक रिट याचिका सं. 1895 है, जिसमें 2012 की एम. ए. सं. 1871 और 2011 की ओ. ए. सं. 262 को खारिज करने को चुनौती दी गई है, जो 18 फरवरी 2011 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया गया था, जिसे जनरल कोर्ट मार्शल (इसके बाद "जी. सी. एम". के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी को पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और नौवें आरोपों का दोषी ठहराया गया था और उसे निम्नानुसार सजा सुनाई गई थीः((i) कैशियर होना; और

बी.

सी.

((ii) पुष्टि के अधीन तीन साल के लिए कठोर कारावास।3. इस प्रकार, भारत संघ और अन्य द्वारा दायर अपील और प्रत्यर्थी द्वारा दायर स्थानांतरित मामले, दोनों पर एक साथ सुनवाई की गई है।सुविधा के लिए, तथ्य 2014 की आपराधिक अपील संख्या 2169 से लिए गए हैं।

डी.

4. प्रत्यर्थी को 16 दिसंबर 1967 को भारतीय सेना में नियुक्त किया गया था और उसने पदोन्नति अर्जित की और मई 2003 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया।इसके बाद प्रत्यर्थी को 1 फरवरी 2005 से महानिदेशक, आपूर्ति और परिवहन (इसके बाद

"डीजीएसटी" के रूप में संदर्भित) के रूप में नियुक्त किया गया था।जनवरी 2005 में उन्हें "अति विशिष्ट सेवा पदक" से भी सम्मानित किया गया था।

ई.

5. 4 अप्रैल 2005 को आपूर्ति और परिवहन निदेशालय (इसके बाद "निदेशालय" के रूप में संदर्भित) में एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी। 8 अप्रैल 2005 को शिकायत को अग्रेषित किया गया और प्रत्यर्थी से शिकायत की जांच करने और निदेशालय के अवलोकन के लिए प्राथमिकता के आधार पर फाइल पर अपनी टिप्पणियों को अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया।प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उसने 12 सितंबर 2005 को इसका जवाब दिया था।

एफ.

जी.

6. निम्नलिखित सात आरोपों की जांच करने के लिए पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (इसके बाद "जीओसी-इन-सी" के रूप में संदर्भित) के निर्देश के तहत प्रत्यर्थी के खिलाफ न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया थाः

एच.

951

भारत संघ और अन्य बनाम एल. टी. जनरल. (आर. टी. डी.) एस. के. साहनी [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

“आई. सेना खरीद संगठन द्वारा 05 अप्रैल के दौरान अंतिम रूप दिए गए अनुबंध के माध्यम से काबुली चना की खरीद;

ii.सेना खरीद संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान पीसे हुए जौ और चना की निविदा और खरीद;

बी.

iii.सी. एफ. एल. दिल्ली द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार राशन की वस्तुओं का परीक्षण और नमूने लेने से अनुमोदित नमूने और ए. एस. सी. विनिर्देशों के अनुसार विभिन्न फर्मों/डीलरों से इसकी बाद की खरीद/खरीद को रोका जा सकता है।

iv.ग्रेनफेड द्वारा आपूर्ति किए गए पूरे मसूर के 979 मीट्रिक टन की निविदा और खरीद; -

सी.

v. नमी की मात्रा के संबंध में निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों, ए. एस. सी. विनिर्देशों और अन्य वांछित मापदंडों का उल्लंघन, प्रति 100 ग्राम वजन पर संख्या गणना, वस्तुओं के मूल्य में कमी लागू करने की प्रणाली, यदि कोई हो।

डी.

vi.वित्तीय वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान मुख्यालय केंद्रीय कमान द्वारा मांस की खरीद के लिए किसी भी ठेकेदार को दिया गया कोई भी अनुचित पक्ष

vii.किसी सिविल ठेकेदार को ए. एस. सी. केंद्र और महाविद्यालय के परिसर के भीतर खुदाई की गई मिट्टी को फेंकने की अनुमति देने के संबंध में कोई भी अनियमितता और ए. एस. सी. केंद्र और महाविद्यालय में सेना द्वारा किसी भी ठेकेदार से लिया गया कोई भी अनुचित पक्ष।"

ई.

7. न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी ने सेना अधिनियम, 1950 (इसके बाद "सेना अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और सेना नियम, 1954 (इसके बाद "सेना नियम" के रूप में संदर्भित) के तहत अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करते हुए केवल प्रत्यर्थी के खिलाफ रिकॉर्ड करने योग्य निंदा करने की सिफारिश की।हालांकि, सेना कमांडर के निर्देश के अनुसार, प्रतिवादी का नाम अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सूची में शामिल किया गया था।24 जून 2006 को न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी को अंतिम रूप दिया गया और उसके बाद जीओसी-इन-सी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया।

एफ.

जी.

8. जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा तर्क दिया गया है, जीओसी-इन-सी ने प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिश के बावजूद, यह स्वीकार करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी के वित्तीय विचार के कृत्यों का कोई सबूत नहीं था।द.

एच.

प्रत्यर्थी , 60 वर्ष की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, 30 सितंबर 2006 को सेवानिवृत्त हुए।

9. प्रत्यर्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें 26 मई 2005 के आदेश और 18 जुलाई 2006 के आदेश के संदर्भ में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की कार्यवाही और सिफारिशों को रद्द करने और अलग करने की मांग की गई थी।दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2007 के आदेश के माध्यम से उक्त रिट याचिका को निम्नलिखित शर्तों में स्वीकार कर लियाः

बी.

"पूर्व में अभिलिखित कारणों के लिए, हमारा विचार है कि उत्तरदाताओं ने नियमों के नियम 180 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, इसलिए वे सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 1 के आदेश को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी के आधार पर उत्तरदाताओं के खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।तथापि, प्रत्यर्थियों को प्रत्यर्थी को नोटिस देने और नियम 180 के तहत कार्यवाही जारी रखने और वैकल्पिक रूप से, यहां तक कि नियम 22 के प्रावधानों का सहारा लेने या अधिनियम के तहत उनके लिए उपलब्ध किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, जहां तक कि वे उपरोक्त जांच न्यायालय की कार्यवाही पर भरोसा नहीं करते हैं।"10. अपीलार्थियों ने सेना नियमों के नियम 180 को लागू करने के बजाय, जिसमें प्रत्यर्थी को अवसर प्रदान किया जाना था, सेना नियमों के नियम 22 का सहारा लिया और एक नया नोटिस जारी किया और 31 अगस्त 2007 को एक आदेश पारित किया और सेना अधिनियम की धारा 123 के तहत कुर्की का आदेश दिया।

सी.

डी.

ई.

11. प्रत्यर्थी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में डब्ल्यू. पी. (सी) नंबर 6632/2007 के रूप में एक रिट याचिका दायर करके उपरोक्त को चुनौती दी, जिसे फिर नई दिल्ली में विद्वान ए. एफ. टी., प्रधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया।उक्त विद्वान ए. एफ. टी. ने 3 सितंबर 2009 के अपने आदेश के माध्यम से सेना अधिकारियों के बाद के कार्य को अपास्त करना दिया और कहा कि सेना नियमों के नियम 22 का सहारा लेना पूरी तरह से अनुचित और अवैध था।हालाँकि अपीलार्थियों को प्रत्यर्थी को अवसर देने और सेना नियमों के नियम 180 के तहत आवश्यकता का पालन करने के बाद न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी का सहारा लेने का निर्देश दिया गया था।

एफ.

जी.

12. जी. ओ. सी.-इन-सी. ने 22 सितंबर 2009 के अपने आदेश के माध्यम से, विद्वान ए. एफ. टी., नई दिल्ली द्वारा दी गई स्वतंत्रता के आधार पर न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी को फिर से बुलाने/फिर से इकट्ठा करने का निर्देश दिया।

एच.

953

भारत संघ और अन्य बनाम एल. टी. जनरल. (आर. टी. डी.) एस. के. साहनी [बी. आर. गवई, जे.] ए.

दिनांक 3 सितंबर 2009।जी. ओ. सी.-इन-सी. ने न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी के आधार पर 12 अप्रैल 2010 के अपने आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया।

13. 30 जुलाई 2010 को सेना अधिनियम के तहत जी. सी. एम. की सभा का निर्देश देते हुए एक आदेश जारी किया गया था।जी. सी. एम. में 7 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 6 सदस्य मेजर जनरल के पद पर थे जो प्रतिवादी के पद से कम था।पीठासीन अधिकारी, हालांकि, लेफ्टिनेंट जनरल के पद का था, लेकिन कथित तौर पर प्रत्यर्थी से कनिष्ठ था।यहां तक कि न्यायाधीश-महाधिवक्ता (इसके बाद "जे. ए. जी". के रूप में संदर्भित) कथित रूप से प्रत्यर्थी से कनिष्ठ था और केवल कर्नल का पद धारण कर रहा था।उसी दिन, यानी 30 जुलाई, 2010 को प्रत्यर्थी को नौ आरोपों वाली एक आरोप-पत्र सौंपी गई थी।14. जी. सी. एम. ने 18 फरवरी 2011 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी को आरोप संख्या 2,6 और 8 का दोषी नहीं पाया, जबकि प्रत्यर्थी को आरोप संख्या 1,3,4,5,7 और 9 का दोषी पाया और उसे निम्नानुसार सजा सुनाई गईः

बी.

सी.

डी.

((i) कैशियर होना; और

((ii) पुष्टि के अधीन तीन साल के लिए कठोर कारावास।जी. सी. एम. के निष्कर्षों और सजा की पुष्टि सेना प्रमुख ने 13 जनवरी 2012 के अपने आदेश के माध्यम से की थी।

ई.

15. प्रत्यर्थी ने 18 फरवरी 2011 के जी. सी. एम. के आदेश के खिलाफ विद्वान ए. एफ. टी. के समक्ष अपील दायर की, जिसकी पुष्टि सेना प्रमुख द्वारा 13 जनवरी 2012 को पारित आदेश द्वारा की गई थी।विद्वान ए. एफ. टी. ने 10 अक्टूबर 2013 के विवादित आदेश के

माध्यम से याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।विद्वान ए. एफ. टी. ने अभिनिर्धारित विद्वान कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध जी. सी. एम. के निष्कर्षों की पुष्टि की जानी चाहिए।हालांकि, विद्वान ए. एफ. टी. ने माना कि कैशियरिंग की सजा और 3 साल के सश्रम कारावास की सजा कठोर थी और इस प्रकार, सजा को सेवा से बर्खास्त करने के लिए संशोधित विद्वान गया।

एफ.

16. प्रत्यर्थी ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1895 के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें विद्वान ए. एफ. टी. द्वारा पारित 10 अक्टूबर 2013 के उपरोक्त विवादित आदेश को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2013 के आदेश के माध्यम से नोटिस जारी विद्वान ।इस बीच, अपीलार्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष 2014 की आपराधिक अपील No.2169 के रूप में एक अपील भी दायर की, जिसमें 10 अक्टूबर को विद्वान ए. एफ. टी. द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई।

जी.

एच.

2013. इसके बाद, प्रत्यर्थी ने 2014 की आपराधिक अपील में एक आवेदन दायर किया जिसमें चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 2013 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 1895 को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

17. इस न्यायालय ने 22 अगस्त 2016 के अपने आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को अनुमति दी और उक्त याचिका को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जिसे 2014 की आपराधिक अपील के साथ सूचीबद्ध किया जाए।

बी.

18. हमने भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बालासुब्रमण्यम और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के. के. त्यागी को सुना है।

सी.

19. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री त्यागी ने प्रारंभिक मुद्दा उठाया कि चूंकि जी. सी. एम. के सदस्य प्रत्यर्थी के पद से नीचे थे, इसलिए जी. सी. एम. का उचित रूप

से गठन नहीं किया गया था, और इस तरह, सेना नियमों के नियम 40 के उप-नियम (2) का उल्लंघन है।वह पूर्व के मामले में इस न्यायालय के आदेश पर निर्भर करता है। लेफ्टिनेंट जनरल

अवधेश प्रकाश बनाम भारत संघ और अन्य **1.**उन्होंने प्रस्तुत किया

डी.

कि उक्त आदेश के अवलोकन से, यह स्पष्ट हो जाएगा कि संबंधित समय में भारतीय सेना में लगभग 80 लेफ्टिनेंट जनरल उपलब्ध थे, और इस तरह, कोर्ट-मार्शल जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल के पद से नीचे के सदस्य थे, प्रत्यर्थी पर मुकदमा नहीं चला सकते थे।इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि जीसीएम, जिसका गठन सेना नियमों के नियम 40 के उप-नियम (2) के उल्लंघन में किया गया है, प्रत्यर्थी पर मुकदमा नहीं चला सकता था।उन्होंने आगे कहा कि उसी आधार पर, सेना नियमों के नियम 102 को देखते हुए, जे. ए. जी., जो कर्नल के पद का था, जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से नीचे है, जे. ए. जी. के रूप में कार्य करते हुए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वह संघ के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है

ई.

इस संबंध में भारत और एक अन्य बनाम चरणजीत एस**.** गिल और अन्य **2**।

एफ.

20. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बालासुब्रमण्यम ने इसके विपरीत कहा कि हालांकि सेना नियमों के नियम 40 के उप-नियम (2) के अनुसार किसी अधिकारी के मुकदमे के लिए कोर्ट-मार्शल के सदस्य अधिकारी से नीचे के पद के नहीं होंगे, लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि उक्त नियम से हटने की अनुमति है, जब संयोजक अधिकारी की राय में, लोक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसे पद के अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं।इसलिए वह प्रस्तुत करता है कि केवल इसलिए कि जीसीएम में शामिल थे

जी.

1 2019 की आपराधिक अपील संख्या 140 दिनांक 24.01.2019 2 (2000) 5 SCC 742 A

एच.

955

भारत संघ और अन्य बनाम एल. टी. जनरल. (आर. टी. डी.) एस. के. साहनी [बी. आर. गवई, जे.] ए.

स्वयं लेफ्टिनेंट जनरल के पद से नीचे के अधिकारी, वस्तुतः कार्यवाही को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एकमात्र आवश्यकता यह है कि इस तरह की राय को संयोजक आदेश में दर्ज किया जाना आवश्यक है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि जहां तक पूर्व के मामले में इस

न्यायालय के आदेश का संबंध है। लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश (उपरोक्त) चिंतित हैं, उक्त मामले में, इस अदालत द्वारा इस रियायत पर आदेश पारित किया गया था कि ऐसे अधिकारी उपलब्ध थे।उन्होंने आगे कहा कि उक्त मामले में, सेना नियमों के नियम 40 के उप-नियम (2) के तहत ऐसी कोई राय दर्ज नहीं की गई थी।

बी.

21. प्रारंभिक आपत्तियों के संबंध में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, सेना नियमों के नियम 40 के उप-नियम (2) का उल्लेख करना प्रासंगिक होगाः

सी.

"40. जनरल कोर्ट-मार्शल की संरचना।-

(1).....

(2).एक अधिकारी के मुकदमे के लिए कोर्ट-मार्शल के सदस्य अधिकारी से कम रैंक के नहीं होंगे, जब तक कि संयोजक अधिकारी की राय में, ऐसे रैंक के अधिकारी (लोक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए) उपलब्ध नहीं हैं।इस तरह की राय को संयोजक आदेश में दर्ज किया जाएगा।"22. सेना नियमों के नियम 102 सहपठित नियम 40 के उप-नियम (2) के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट विवाद को देखते हुए, हमने मूल फाइल को तलब किया है।मूल फाइल के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि संयोजक अधिकारी ने कारण दर्ज किए हैं कि प्रत्यर्थी रैंक के अधिकारी क्यों उपलब्ध नहीं थे।हम पाते हैं कि ऐसा करने के लिए दिए गए कारण लोक सेवा की आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं।इस तरह के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है।जब तक यह नहीं पाया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय मनमानेपन, तर्कहीनता या अनुचितता से ग्रस्त है, तब तक हमारे लिए संयोजक अधिकारी के निर्णय पर अपील करने की अनुमति नहीं होगी।सीमित जांच की अनुमति होगी कि क्या दर्ज किए गए कारण लोक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हैं या नहीं।मूल फाइल के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि दिए गए कारण सीधे तौर पर लोक सेवा की आवश्यकताओं से संबंधित हैं।इसलिए हम उक्त निवेदन में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

23. जहां तक पूर्व के मामले में इस न्यायालय के आदेश का संबंध है। लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश (उपरोक्त) का कहना है कि उक्त मामले में याची की ओर से यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी लेफ्टिनेंट जनरल को उपलब्ध कराने का प्रयास कर सकते थे।किसी भी मामले में, उक्त आदेश से, यह स्पष्ट नहीं है कि सेना नियमों के नियम 40 के उप-नियम (2) के तहत आवश्यक व्यक्तिपरक संतुष्टि वास्तव में दर्ज की गई थी या नहीं।विद्वान ए. एफ. टी. के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इस न्यायालय के साथ एक अन्य कारण यह था कि विद्वान ए. एफ. टी. ने दर्ज विद्वान था कि चूंकि उसमें अपीलार्थी पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका था, इसलिए जी. सी. एम. के गठन में कोई अवैधता नहीं थी। इस न्यायालय ने पाया कि सेना नियमों के नियम 40 को नंगे पढ़ने पर इस तरह का निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं था।

बी.

सी.

24. जहां तक वर्तमान मामले के गुण-दोष का संबंध है, श्री बालासुब्रमण्यम प्रस्तुत करते हैं कि जब विद्वान ए. एफ. टी. ने जी. सी. एम. के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की थी कि प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप साबित हो गए थे, तो विद्वान ए. एफ. टी. के लिए प्रत्यर्थी पर लगाए गए दंड में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं था।जहाँ तक अपीलार्थियों की अपील का संबंध है, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत विद्वान कि चूंकि आरोप साबित होने के संबंध में तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष हैं, इसलिए अपीलार्थियों की अपील में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं होगा।इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियों की अपील को अनुमति दी जानी चाहिए और याची (2014 की आपराधिक अपील संख्या 2169 में प्रतिवादी) द्वारा दायर 2017 का हस्तांतरित मामला (आपराधिक) संख्या 1 खारिज कर दिया जाना चाहिए।

डी.

ई.

25. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री त्यागी, इसके विपरीत, यह प्रस्तुत करेंगे कि जीसीएम के साथ-साथ विद्वान एएफटी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अनुमानों और अनुमानों के आधार पर दर्ज किए जाते हैं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि जी. सी. एम. में, जिस मानक का पालन किया जाना आवश्यक है, वह आपराधिक मुकदमे का है।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, तब तक उसे जीसीएम में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपराधिक मुकदमे की तरह, संदेह का लाभ अधिकारी को जाना चाहिए न कि अभियोजन पक्ष को।हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत विद्वान कि वर्तमान मामले में जी. सी. एम. के साथ-साथ विद्वान ए. एफ. टी. ने अभियोजन पक्ष को संदेह का लाभ दिया है।

एफ.

जी.

26. वह प्रस्तुत करता है कि वास्तव में, प्रत्यर्थी के खिलाफ एक भी आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं होता है।हालाँकि, प्रत्यर्थी को बिना किसी सबूत के जी. सी. एम. द्वारा दोषी ठहराया गया है।इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2017 ए का हस्तांतरित मामला (आपराधिक) संख्या 1

एच.

957

भारत संघ और अन्य बनाम एल. टी. जनरल. (आर. टी. डी.) एस. के. साहनी [बी. आर. गवई, जे.] ए.

याची (2014 की आपराधिक अपील संख्या 2169 में प्रतिवादी) द्वारा दायर की गई याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।27. अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता की सहायता से, हमने जी. सी. एम. द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ विद्वान ए. एफ. टी. और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन विद्वान है।

बी.

28. शुरुआत में, हम यह कह सकते हैं कि इस न्यायालय की अधिकारिता पर अंतर्निहित सीमाएँ हैं और जी. सी. एम. द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि इस न्यायालय को यह पता न चले कि भौतिक कारकों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया है या जो साक्ष्य रिकॉर्ड पर आया है, उसकी पूरी तरह से गलत तरीके से सराहना की गई है।इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, हम अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर विचार करेंगे।

सी.

29. हालाँकि प्रत्यर्थी के खिलाफ नौ आरोप तय किए गए हैं, लेकिन जहाँ तक आरोप संख्या 1,3,4,5,7 और 9 का संबंध है, उसे दोषी पाया गया है।जहाँ तक आरोप संख्या 2,6 और 8 का संबंध है, उन्हें दोषी नहीं पाया गया है।विद्वान ए. एफ. टी. ने प्रत्यर्थी को उपरोक्त आरोपों का दोषी ठहराते हुए तथ्य के निष्कर्ष से भी सहमति व्यक्त की है।विद्वान ए. एफ. टी. ने पाया है कि इन सभी आरोपों के संबंध में साक्ष्य ज्यादातर सामान्य हैं और इस तरह, सभी कथित बिंदुओं को एक साथ तय विद्वान है।

डी.

30. विद्वान ए. एफ. टी. इस तथ्य पर पहुंचा है कि यद्यपि अनुबंधों को सेना खरीद संगठन (इसके बाद "ए. पी. ओ". के रूप में संदर्भित) द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, जहां तक सैनिकों के लिए सूखी आपूर्ति के प्रावधान का संबंध है, यह पाया गया कि ए. पी. ओ. के साथ-साथ निदेशालय दोनों, अनुबंधों की निगरानी, परीक्षा और प्रगति के लिए समवर्ती और सह-संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं।

ई.

एफ.

31. संबंधित समय में प्रत्यर्थी डी. जी. एस. टी. का पद संभाल रहा था। यद्यपि प्रत्यर्थी के विरुद्ध नौ आरोप बनाए गए हैं, वे आपस में जुड़े हुए हैं और निम्नानुसार तीन लेन-देनों से संबंधित हैं:(i) कि प्रत्यर्थी ने 14 निविदा स्टेशनों के अलावा मध्य प्रदेश के गदरवाड़ा, जिला नरसिंगपुर, मध्य प्रदेश और नरसिंगपुर में दो और निविदा स्टेशनों को जोड़ने के लिए मैसर्स गुजरात को-ऑपरेटिव ग्रेन ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड (इसके बाद "मैसर्स ग्रेनफेड" के रूप में संदर्भित) के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी।

जी.

एच.

अनुबंध में पहले ही उल्लेख किया गया है।आरोप यह था कि यह राज्य को धोखा देने के इरादे से किया गया था;

((ii) यद्यपि प्रत्यर्थी ने 4 अप्रैल 2005 की शिकायत में नकली निविदा और केसरी मटर और अक्रा की उपस्थिति का आरोप लगाते हुए पूछताछ की थी, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थे, लेकिन उसने दल मसूर में केसरी मटर और अक्रा की कथित उपस्थिति की जांच सुनिश्चित करने में चूक की थी।इसलिए, प्रत्यर्थी ने सेना के कर्मियों को भोजन खिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मानकों के अनुसार नहीं था।उसी लेन-देन की निरंतरता के रूप में, धोखाधड़ी करने के इरादे से, उन्होंने फर्म द्वारा आपूर्ति की गई दाल मसूर होल के उन्नयन के लिए मेसर्स ग्रेनफेड के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी, यह जानते हुए कि उक्त वस्तु पाई गई थी और मानव उपभोग के लिए अयोग्य घोषित की गई थी; और

बी.

सी.

(iii) कि प्रत्यर्थी ने मेसर्स पनसप लिमिटेड और मेसर्स एम. एम. टी. सी. लिमिटेड को छूट के साथ विचलन को मंजूरी दी थी, जिसमें प्रति 100 ग्राम कबली चना के लिए 300-350 अनाज की जगह 350-400 अनाज की अनुमति दी गई थी, और यह धोखाधड़ी के इरादे से किया गया था।

डी.

32. जहां तक पहले आरोप का संबंध है, विद्वान ए. एफ. टी. के निष्कर्षों से पता चलता है कि गदरवाड़ा और नरसिंहपुर में दो अतिरिक्त निविदा स्टेशनों के लिए मेसर्स ग्रेनफेड का अनुरोध 3 मार्च 2005 को खरीद के मुख्य निदेशक (इसके बाद "सी. डी. पी". के रूप में संदर्भित), ए. पी. ओ. को विद्वान गया था। ए. पी. ओ. ने 9 मार्च 2005 के संचार के माध्यम से निदेशालय की टिप्पणियों/विचारों के लिए उक्त अनुरोध को अग्रेषित विद्वान ।विद्वान ए. एफ. टी. के साथ-साथ जी. सी. एम. के आदेशों के अवलोकन से पता चलेगा कि, पीडब्लू-6-मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) की सिफारिश को स्वीकार करने के बाद। एस. सी. मोहन, प्रत्यर्थी मेसर्स ग्रेनफेड के अनुरोध पर सहमत नहीं हुए। हालाँकि, पीडब्लू-13-कोल द्वारा तैयार किए गए नोट के अनुसार पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव उनके सामने रखा गया था। (सेवानिवृत्त) एन. के. यादव, निदेशक प्रावधान, ने कहा कि निविदा की स्वीकृति के खिलाफ पूरी राशि पहले ही वितरण अवधि के भीतर गदरवाड़ा में निविदा दी जा चुकी है।इसलिए प्रत्यर्थी ने दो अतिरिक्त निविदा स्टेशनों के लिए मेसर्स ग्रेनफेड के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और प्रत्यर्थी के निर्णय से एपीओ को अवगत कराया गया।

ई.

एफ.

जी.

एच.

959

भारत संघ और अन्य बनाम एल. टी. जनरल. (आर. टी. डी.) एस. के. साहनी [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

33. उपरोक्त आरोप के संबंध में, ब्रिगेडियर पी. एस. के मामले में विद्वान ए. एफ. टी. द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा।

गिल बनाम भारत संघ और अन्य **3.**उक्त मामले में**,** याची

उसमें (ब्रिगेडियर।पी. एस. गिल), प्रासंगिक समय में, सी. डी. पी., ए. पी. ओ. के रूप में काम कर रहे थे। उक्त निष्कर्षों का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

“2. उपरोक्त आरोपों को नंगे पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि याची 1987 के ए. पी. ओ./एम. ओ. डी. समेकित आदेश संख्या 3 के विपरीत, सेना खरीद संगठन, रक्षा मंत्रालय के खरीद के मुख्य निदेशक होने की हैसियत से,

बी.

गदरवाड़ा और नरसिंहपुर नामक दो और निविदा स्टेशनों को धोखाधड़ी/अनुचित रूप से अनुमोदित करने का इरादा

सी.

मध्य प्रदेश।आरोप तय करने के उद्देश्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रदर्शनी पर निर्भरता रखी गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

प्रदर्शनी	पृष्ठ	पैरा
एल.	239	-
एलएक्सआईएक्स	294	-
XXVII	193	2
VI	141-143	1 और 2
II.	83-85	-
वी.	139-140	-
एलएक्सएक्सवी	303-305	-
XXVIII से XXXIII/I	194-204/80	-

डी.

ई.

एफ.

ऊपर उल्लिखित प्रदर्शनों के अवलोकन से यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि दो निविदा केंद्रों को जोड़ना याची की शक्तियों के भीतर नहीं था।याची के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए इन दस्तावेजों की प्रासंगिकता दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बताया जा सका। इसके अलावा सी. डी. पी. सेना खरीद संगठन, ए. एच. क्यू. नई दिल्ली के पी. डब्ल्यू. 1 ब्रिगेडियर पी. पी. एस. बल नामक गवाह के बयान की जांच की गई।वह अपने बयान में स्पष्ट थे कि उन्हें 1987 के समेकित आदेश संख्या 3 (Ext.2) के बारे में पता था जो अतिरिक्त

निविदा केंद्र को शामिल करने की अनुमति देता है।Ext.1 दिनांकित 06.10.2008 पत्र से संबंधित है।

जी.

3 2010 का ओ. ए. सं. 147 दिनांक 24 मई 2011

एच.

960

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 16 एस सी आर।

मैसर्स एम. पी. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को मैसर्स एम. पी. टी. आर. आई. एफ. ए. सी.-एडिशन ऑफ टेंडर स्टेशन-दिल्ली से ए/टी के बदले 1000 एम. टी. ग्राम क्रश्ड (किबल्ड) की खरीद के लिए लिखा गया है।यह एक उदाहरण गवाह द्वारा उद्धृत किया गया था।यह स्वयं इंगित करता है कि निविदा केंद्रों को जोड़ना सक्षम प्राधिकारी के विवेक के भीतर है कि "ए/टी विषय में एक विशेष मामले के रूप में दिल्ली में दुकानों को निविदा दी जा सकती है, इस शर्त के अधीन कि खरीदार द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त खर्च/आपूर्तिकर्ता को उपार्जित बचत, निविदा केंद्र के इस जोड़ के कारण, आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को प्रतिपूर्ति की जाएगी" जो कि 1987 के रक्षा समेकित आदेश संख्या 3 में अनिवार्य आवश्यकता भी है। इसके अलावा पीडब्लू1 के जवाब के अनुसार अभियुक्त-याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त निविदा केंद्र बनाने के संबंध में, अनुबंध में भारत सरकार के आदेशों द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया था और संशोधित अनुबंध को एक्सएच द्वारा भी सूचित किया गया था। VI. लेखापरीक्षा अधिकारियों या पी. सी. डी. ए. द्वारा निविदा स्टेशनों की इस तरह की स्वीकृति पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा, गवाह प्रश्न संख्या 4 के अपने उत्तर में यह भी स्पष्ट करता है कि निविदाकर्ता के पास उन स्टेशनों का चयन करने का विकल्प है जहां वह अनुबंध के अनुसार दुकानों को निविदा दे सकता है।ए. पी. ओ. निविदा स्टेशनों को निर्देशित नहीं करता है। हालाँकि, उन्हें प्रेषक डिपो तक दुकानों के निरीक्षण और आवाजाही को आसान बनाने के लिए खुद को उधार देना चाहिए।अंत में इस गवाह ने यह भी स्पष्ट किया कि दो निविदा स्टेशनों को जोड़ने से याची द्वारा कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता था और न ही अभियुक्त-याची द्वारा दो नए स्टेशनों की स्वीकृति के लिए उत्तरदाताओं द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च किया जा सकता था।इन दो नए स्टेशनों को जोड़कर, आरोपी याची द्वारा किसी भी नियम या आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

34. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि वही ए. एफ. टी. इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सी. डी. पी., ए. पी. ओ. अतिरिक्त निविदा स्टेशनों को शामिल करने की शक्तियों के भीतर था।यह भी पाया गया है कि लेखापरीक्षा प्राधिकरणों या सी. डी. पी., ए. पी. ओ. द्वारा ऐसे निविदा केंद्रों की स्वीकृति पर कोई आपत्ति नहीं थी। यह भी देखा जाना चाहिए कि विद्वान ए. एफ. टी. ने स्पष्ट रूप से उल्लेख विद्वान है कि 1987 के समेकित आदेश संख्या 3 में अतिरिक्त निविदा केंद्र को शामिल करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि खरीदार द्वारा विद्वान गया अतिरिक्त खर्च/आपूर्तिकर्ता को उपार्जित बचत, ए.

जी.

एच.

961

भारत संघ और अन्य बनाम एल. टी. जनरल. (आर. टी. डी.) एस. के. साहनी [बी. आर. गवई, जे.] ए.

निविदा केंद्र के इस जोड़ के कारण, आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को प्रतिपूर्ति की जाएगी।एक विशिष्ट निष्कर्ष था कि दो निविदा स्टेशनों को जोड़ने के कारण, न तो याची (ब्रिगेडियर पी. एस. गिल) को कोई मौद्रिक लाभ अर्जित किया जा सकता था, न ही याची (ब्रिगेडियर पी. एस. गिल) द्वारा दो नए स्टेशनों की स्वीकृति के कारण सेना द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च वहन किया गया था।किसी भी मामले में, उक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि ऐसे अतिरिक्त निविदा स्टेशनों को स्वीकार करने का अधिकार सीडीपी, एपीओ के पास था। 24 मई 2011 के आदेश में दर्ज विद्वान ए. एफ. टी. के इस विशिष्ट निष्कर्ष को देखते हुए, हम पाते हैं कि इसके विपरीत, विद्वान ए. एफ. टी. की एक अन्य पीठ द्वारा वर्तमान प्रत्यर्थी के मामले में 10 अक्टूबर 2013 के विवादित आदेश के माध्यम से दर्ज विद्वान गया निष्कर्ष टिकाऊ नहीं होगा।35. किसी भी मामले में, यह अपीलार्थियों का मामला भी नहीं है कि इस तरह के निर्णय के कारण सेना को कोई नुकसान हुआ था या इस तरह के विचलन से मेसर्स ग्रेनफेड को कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ था।यह इस तथ्य के अलावा है कि 1987 के समेकित आदेश संख्या 3 में ही खरीदार द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त खर्च/आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई बचत को आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता थी।इस प्रकार, विद्वान ए. एफ. टी. के निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी की ओर से धोखाधड़ी करने का इरादा था, हमारे विचार में, टिकाऊ नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

36. जहाँ तक दूसरे आरोप का संबंध है, यह प्रत्यर्थी द्वारा 4 अप्रैल 2005 की अनाम शिकायत के आधार पर कार्रवाई नहीं करने के संबंध में है।संबंधित आरोप यह है कि हालांकि दल मसूर होल में केसरी मटर और अकरा भी पाया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी ने नमूनों को मंजूरी दे दी और उक्त दल मसूर होल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी गई।यह अपीलार्थियों का मामला है कि इसके कारण, दल मसूर होल, जो मानकों के अनुसार नहीं था, सेना के कर्मियों को खिलाया गया था।यह उनका आगे का मामला है कि प्रत्यर्थी ने भी इसके उपभोग को रोकने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त अनाम शिकायत की प्राप्ति के बाद, नमूनों को विश्लेषण के लिए भेजा गया था और 13 मई 2005 को नमूनों के विश्लेषण के दौरान केसरी मटर के निशान सामने आए थे।इसके बाद प्रत्यर्थी ने स्टॉक को फ्रीज करने के निर्देश जारी किए।यह भी ध्यान देने योग्य है कि डी. जी. एस. टी. ने 12 अप्रैल 2005 के आदेश के माध्यम से एक विभागीय न्यायालय को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि क्या दल मसूर की निविदा/निरीक्षण प्रक्रिया में कोई अनियमितताएं थीं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

मेसर्स गेन्फेड द्वारा प्रस्तावित। 12 अप्रैल 2005 के उक्त आदेश का उल्लेख करना उचित होगाः

“1. मेसर्स गुजरात कॉप ग्रेन ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड द्वारा सी. एफ. एल. ए. एस. सी., दिल्ली द्वारा एटी No.J-13028/1/4-03/45-RP/2005-पी. यू. आर. III दिनांक 28 फरवरी 2005 के खिलाफ निरीक्षण के लिए मसूर होल की निविदा/निरीक्षण प्रक्रिया में कोई अनियमितताएं थीं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले स्थान, तिथि और समय पर निम्नलिखित रूप से गठित एक विभागीय जांच न्यायालय एकत्र होगाः-

बी.

पीठासीन अधिकारी-ब्रिगेडियर वी मारवाह डी. डी. एस. टी., मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र तकनीकी सदस्य-कर्नल एस. सी. चक्रवर्ती

सी.

दिर एस. टी. (एफ. आई.)

2. न्यायालय विशेष रूप से निम्नलिखित मुद्दों की जांच करेगाः- (क) क्या 979.600 एम. टी. का पूरा मूल्य 15 मार्च 2005 तक दिया गया था।यदि ऐसा है तो बी. आई. ओ. को केवल 440.800 एम. टी. का निरीक्षण करने का निर्देश क्यों दिया गया।

डी.

(ख) क्या बी. आई. ओ. द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि पूर्ण क्यू. टी. आई. अर्थात 979.600 एम. टी. की निविदा दी गई है और इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की गई है।

ई.

(ग) बी. आई. ओ. ने खेप का नमूना क्यों नहीं लिया, और थैलों के नमूनों को क्यों अस्वीकार कर दिया गया, सी. ओ./प्रयोगशाला विश्लेषण के अवलोकन के लिए क्यों नहीं लाया गया।

(घ) सी. ओ., सी. एफ. एल. ए. एस. सी. दिल्ली का यह निर्णय कि जब ए. टी. नोट जोखिम खरीद के खिलाफ हो तो जब भी तैयार हो, स्टॉक को फिर से पैक किया जाए और फिर से टेंडर किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप डी. पी. का स्वतः विस्तार हो जाता है।

एफ.

(ई) ठेकेदार से एक प्रमाण पत्र की स्वीकृति कि खेप की शेष राशि यानी 538.400 एमटी को 440.800 एमटी के समान गुणवत्ता वाले थैलों में पैक किया जाता है; और इस तरह इसकी रीबैगिंग का आदेश दिया जाता है।

जी.

गोपनीय

3. न्यायालय सभी संबंधित मुद्दों की जांच करेगा, और यदि कोई चूक है तो उसके लिए जिम्मेदारी तय करेगा।

एच.

963

भारत संघ और अन्य बनाम एल. टी. जनरल. (आर. टी. डी.) एस. के. साहनी [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

4. विधिवत पूरी की गई कार्यवाही को 19 अप्रैल 2005 तक व्यक्तिगत रूप से एडीजीएसटी (एसएम) को प्रस्तुत किया जाएगा।"

37. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी को सभी संबंधित मुद्दों की जांच करने और चूक, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी शिकायत का संज्ञान लेने और उस संबंध में जांच का निर्देश देने में विफल रहा था, रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के विपरीत है।

बी.

38. यह भी ध्यान देने योग्य है कि जी. सी. एम. ने 18 फरवरी 2011 के अपने आदेश में स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 560.727।380 वारंटी अवधि के भीतर पूरे मसूर के मीट्रिक टन को खराब घोषित कर दिया गया था, जिसके लिए मेसर्स ग्रेनफेड से वसूली की गई थी।

सी.

39. यह हमें मेसर्स पनसप लिमिटेड और मेसर्स एम. एम. टी. सी. लिमिटेड को दिनांक 26 जून 2005 की निविदा की स्वीकृति में दी जा रही छूट के संबंध में तीसरे शुल्क के साथ छोड़ देता है, जिसमें प्रति 100 ग्राम काबली चना के लिए 300-350 अनाज के बजाय 0.5% की कीमत में कमी की अनुमति दी गई थी।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी या उक्त छूट से लाभ प्राप्त करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को छोड़कर, एक विशिष्ट निष्कर्ष है कि इस तरह की छूट के लिए अनुबंध राशि को 0.5 प्रतिशत कम करने के निर्णय के कारण सरकारी खजाने को लाभ हुआ है।ब्रिगेडियर पी. एस. गिल (उपरोक्त) के मामले में विद्वान ए. एफ. टी. के निष्कर्ष का उल्लेख करना प्रासंगिक होगाः

डी.

ई.

"इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि डी. जी. एस. टी. विनिर्देशन में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी था।इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण हैं कि सक्षम प्राधिकारी होने के नाते डी. जी. एस. टी. ने प्रति 100 ग्राम 400 अनाज भेजने की अनुमति दी थी।300-350 अनाज प्रति 100 ग्राम के स्थान पर।ऐसा प्रतीत होता है कि डी. जी. एस. टी. ने अनुबंध राशि में 0.50 प्रतिशत की कमी की है, जिसमें आपूर्तिकर्ता मैसर्स पंजाब स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के शुल्क संख्या 3 और 4 के मामले में 7,57 करोड़ रुपये का सरकारी पैसा बचा लिया गया था।इसी तरह, अपनी शक्तियों के भीतर, उन्होंने मेसर्स एम. एम. टी. सी. को 4,48 रुपये, 050.00 की छूट दी।"

एफ.

जी.

40. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विद्वान ए. एफ. टी. विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस तरह के निर्णय के कारण, आपूर्तिकर्ता मैसर्स पंजाब स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में 7,57 रुपये, 480.16 का सार्वजनिक धन बचाया गया था। इसी तरह, एक राशि

मेसर्स एम. एम. टी. सी. लिमिटेड को दी गई छूट के मामले में रुपये. 4,48,050 की बचत की गई थी।

41. यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि इस तरह से आपूर्ति की गई कबली चना निम्न गुणवत्ता का था या मानकों के अनुसार नहीं था।एकमात्र आरोप यह है कि जो छूट दी गई थी, वह अनाज की संख्या के संबंध में थी जो प्रत्येक 100 ग्राम में होनी चाहिए।इसके विपरीत, मूल्य में कमी के कारण, सार्वजनिक खजाने में पर्याप्त बचत हुई है, आपूर्तिकर्ता के लिए किसी भी आर्थिक लाभ को छोड़ दें।वास्तव में, पैराग्राफ (26) में जी. सी. एम. ने भी कहा कि प्रत्यर्थी अपने इरादे के संबंध में संदेह का लाभ उठाने का हकदार था, लेकिन उसने पाया कि उक्त कार्य अच्छी व्यवस्था और सैन्य अनुशासन के लिए प्रतिकूल था।42. किसी भी मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एपीओ की निविदा जांच में खंड 6 (ए) (iv), जो दशकों से प्रचलन में है, ने ऐसा करने की अनुमति दी है।उसी को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः“6 (क) (iv)।जब आपूर्तिकर्ता द्वारा निरीक्षण अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील की जाती है तो अपीलीय प्राधिकरण का अंतिम निष्कर्ष अर्थात। क्यू. एम. जी. की शाखा, एस. टी.-7/8 स्वतः निरीक्षण अधिकारी की मूल रिपोर्ट का स्थान ले लेगी, भले ही उक्त निरीक्षण अधिकारी ने गुणवत्ता भत्ता मूल्य में कमी आदि के अधीन खेप को स्वीकार करने की सिफारिश की हो। किसी भी आपूर्ति के निर्धारित विनिर्देश के अनुरूप नहीं पाए जाने की स्थिति में, लेकिन स्वीकार्य गुणवत्ता मानी जाने पर, खरीद का मुख्य निदेशक, अपने विवेकाधिकार पर, आपूर्ति में पाए जाने वाले दोषों या स्वीकृत आपूर्ति की गुणवत्ता के आलोक में, कीमत में ऐसी कमी के अधीन आपूर्ति को स्वीकार कर सकता है जो वह उचित समझता है।यदि कीमत में 5 प्रतिशत तक की कमी की जाती है, तो कीमत में कमी की स्वीकृति के लिए ठेकेदार को बिना किसी संदर्भ के खेप स्वीकार की जाएगी और ठेकेदार उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाएगा।हालांकि, यदि कोई खेप 5 प्रतिशत से अधिक की कीमत में कमी पर स्वीकार्य है, तो आपूर्ति की स्वीकृति से पहले ठेकेदार की सहमति प्राप्त की जाएगी।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

43. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हमारे विचार में उस संबंध में निष्कर्ष भी टिकाऊ नहीं है।विद्वान ए. एफ. टी. की निम्नलिखित टिप्पणियों को आक्षेपित क्रम में संदर्भित करना भी उचित होगाः

एच.

965

भारत संघ और अन्य बनाम एल. टी. जनरल. (आर. टी. डी.) एस. के. साहनी [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

“38. हालांकि, हमारी राय है कि हालांकि ये आरोप साबित होते हैं जो दर्शाते हैं कि वह उस पद के कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे थे, जिसके लिए उन्हें कर्तव्य सौंपे गए थे और उन्होंने अच्छी व्यवस्था और सैन्य अनुशासन के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण ऐसे कार्य किए थे और वे इस संबंध में जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते थे।यह सच है कि उसके कृत्य सेना के अनुशासन के लिए प्रतिकूल थे और उसने धोखाधड़ी करने के इरादे से ऐसे कृत्य किए थे, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने वास्तव में धोखाधड़ी की या ऐसा कोई कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को वास्तविक नुकसान या गलत लाभ हुआ, हालांकि उसके कृत्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि गलत लाभ करने के प्रयास किए गए थे और इसलिए वह अपनी देनदारियों से बच नहीं सकता है।”

बी.

सी.

44. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि विद्वान ए. एफ. टी. इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने वास्तव में धोखाधड़ी की है या ऐसा कोई कार्य विद्वान है, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को वास्तविक नुकसान या गलत लाभ हुआ है।हालाँकि, उसी सांस में, विद्वान ए. एफ. टी. का मानना है कि ये कार्य एक निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि गलत लाभ का कारण बनने के प्रयास किए गए थे, और इसलिए, प्रत्यर्थी अपनी देनदारियों से बच नहीं सकता है।इसे देखते हुए, विद्वान ए. एफ. टी. इस निष्कर्ष पर

पहुँचता है कि सेना अधिनियम, 1950 की धारा 52 (एफ) के तहत अपराध, जो इस प्रकार है, प्रतिवादी के खिलाफ बनाया गया थाः

डी.

“52. सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध।-

ई.

.....

(च)।धोखा देने, या एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने या दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने के इरादे से कोई अन्य काम करता है।”45. हमें डर है कि क्या इस तरह का निष्कर्ष कानूनी रूप से टिकाऊ होगा।विद्वान ए. एफ. टी. विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रत्यर्थी ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है या कोई ऐसा कार्य नहीं विद्वान है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को वास्तविक नुकसान या गलत लाभ हुआ हो।हम इस बात की सराहना करने में असमर्थ हैं कि किस आधार पर विद्वान ए. एफ. टी. इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अधिनियम इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि प्रयास गलत लाभ के लिए किए गए थे।विद्वान ए. एफ. टी. द्वारा दर्ज विद्वान गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के बिल्कुल विपरीत है।

एफ.

जी.

46. इसलिए, हम पाते हैं कि विद्वान ए. एफ. टी. के साथ-साथ जी. सी. एम. द्वारा पारित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं हैं।अपीलार्थियों की अपील खारिज की जानी चाहिए और हस्तांतरित मामला (आपराधिक)

एच.

याची द्वारा दायर 2017 की सं. 1 (2014 की आपराधिक अपील सं. 2169 में प्रतिवादी) को अनुमति दी जाए।

47. परिणाम में, हम निम्नलिखित क्रम पारित करते हैंः

ए**. 2014** की आपराधिक अपील संख्या **2169:**

(i) अपीलार्थियों द्वारा दायर **2014** की आपराधिक अपील संख्या **2169** खारिज कर दी जाती है।

बी.

बी**. 2017** का हस्तांतरित मामला **(**आपराधिक**)** संख्या **1:**

(i) याची (2014 की आपराधिक अपील संख्या 2169 में प्रतिवादी) द्वारा दायर 2017 का हस्तांतरित मामला (आपराधिक) संख्या 1 की अनुमति है;

सी.

((ii) जी. सी. एम. द्वारा 18 फरवरी, 2011 को याची को दोषी ठहराते हुए और उस पर जुर्माना लगाते हुए पारित आदेश और विद्वान ए. एफ. टी. द्वारा पारित 10 अक्टूबर, 2013 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है।

डी.

((ग**)** याची को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है**;** और

((iv) याची कानून के अनुसार सभी पेंशन और परिणामी लाभों का हकदार होगा।इस तरह के लाभों के बकाया की गणना की जाएगी और इस फैसले की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर याची को भुगतान किया जाएगा।

ई.

देविका गुजराल और अमरेंद्र कुमार

याचिका खारिज और

(सहायकः रितुजा चौकसे, एलसीआरए)

स्थानांतरित मामले की अनुमति दी गई।

एफ.

जी.

एच.